राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 272/2017

सुरेश चन्द्र **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.02.2017

आदेश की दिनांक : 16.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 09.10.2000 के द्वारा स्कूल व्याख्याता (भूगोल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे और पदोन्नति दिनांक से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे तथा आदेश दिनांक 03.07.2015 के द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी आयोजित कर

प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे और समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी प्रदान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई थी और संभाग स्तरीय वरिष्ठता क्रमांक 162 तथा राज्य स्तरीय वरिष्ठता क्रमांक 658 है। आदेश दिनांक 28.03.1989 के द्वारा अपीलार्थी को कनिष्ठ कृषि अध्यापक (स्कूल व्याख्याता) के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया। आदेश दिनांक 09.10.2000 के द्वारा अपीलार्थी को स्कूल व्याख्याता भूगोल के पद पर पदोन्नत किया गया। परंतु अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.10.2000 के द्वारा पदस्थापन नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नत कर दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 07.02.2014 को पदस्थापन के संबंध में अभ्यावेदन दिया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया और रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध स्कूल व्याख्याता से प्रधानाचार्य के पद के लिये डीपीसी आयोजित की गई और आदेश दिनांक 09.10.2000 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई, परंतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 09.10.2000 के द्वारा स्कूल व्याख्याता (भूगोल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे और पदोन्नति दिनांक से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे तथा आदेश दिनांक 03.07.2015 के द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी आयोजित कर प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे और समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की पदोन्नति रिव्यू डीपीसी के पश्चात् आदेश दिनांक 02.02.2021 के द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर वर्ष 2014–15

में चयन किया जा चुका है। अपीलार्थी की तदर्थ पदोन्नति कर कनिष्ठ कृषि अध्यापक पद पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा कथित भूगोल व्याख्याताओं के पदों पर डीपीसी वर्ष 1999–2000 में चयनित अभ्यर्थियों की नियमित पदोन्नति की गई, जो तदर्थ पदोन्नति से भिन्न है। अपीलार्थी का प्रधानाचार्य पद पर डीपीसी के लिये चयन नहीं हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई थी और संभाग स्तरीय वरिष्ठता क्रमांक 162 तथा राज्य स्तरीय वरिष्ठता क्रमांक 658 है। आदेश दिनांक 28.03.1989 के द्वारा अपीलार्थी को कनिष्ठ कृषि अध्यापक (स्कूल व्याख्याता) के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया। आदेश दिनांक 09.10.2000 के द्वारा अपीलार्थी को स्कूल व्याख्याता भूगोल के पद पर पदोन्नत किया गया। परंतु अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.10.2000 के द्वारा पदस्थापन नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी को आदेश दिनांक 09.10.2000 के द्वारा पदोन्नति उपरांत पदस्थापन नहीं किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 09.10.2000 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया और आदेश दिनांक 14.10.2000 के द्वारा कहीं पर भी पदस्थापित नहीं किया गया। जबकि अन्य कार्मिकों को पदस्थापन स्थान उक्त आदेश में अंकित किया गया है और तत्पश्चात् विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर आदेश दिनांक 03.07.2015 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई, जिसमें अपीलार्थी के समान एवं उससे कनिष्ठ कार्मिक श्री महेश कुमार भारद्वाज को भी प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। जबकि अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो सेवा नियमों के विपरीत है। जबकि अपीलार्थी भी उक्त पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को स्कूल व्याख्याता के पद पर आदेश दिनांक 09.10.2000 के द्वारा जो पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी

तिथी से पदोन्नति मानते हुये जिस प्रकार अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक श्री महेश कुमार भारद्वाज को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे। यदि अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति योग्य पाया जाता है तो उसे नियमानुसार पदोन्नति प्रदान करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य